वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको बनाम नारायण

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/91

30.12.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है निजी खातेदारों से अवाप्ति भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 132/1 रकबा 1.92 हैक्टर प्रार्थी रीको के खाते दर्ज है जिससे लगवा राजकीय सिवायचक भूमि जिसे जिला कलक्टर द्वारा उद्योग हेतु सेट–अपार्ट भूमि को राजस्थान सरकार द्वारा रीको को खसरा नम्बर 112 रकबा 2.23 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 132 रकबा 1.52 हैक्टर को दिनांक 28.07.1997 को आवंटित कर दिया जिस पर बाद दखल प्रार्थी रीको ने औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (विस्तार) कोटा का नक्शे के अनुसार विकास किया है । उक्त दोनों प्रकार की भूमियों का योग 4.63 हैक्टर एवं 3.44 हैक्टर होता है जिसमें से अवैध रूप से कानून के प्रावधानों के विपरीत बिना अधिकार क्षेत्र के नेचुरल जस्टिस के लिख Apparent on the face of record के विपरीत पारित किया है जो काबिल रिव्यू है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2017 को रिव्यू किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट तथ्य की खसरा नम्बर 112 रकबा 2.23 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 132 रकबा 1.52 हैक्टर पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा मौके पर प्रार्थी रीको का है जिसे राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु धारा 92 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत सेट अपार्ट कर आवंटित किया है जिस पर वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (विस्तार) रानपुर कोटा विकसित किया गया है एवं उद्योग हेतु भूखण्ड आवंटित किये जाने हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी रीको के अधिकारियों को रीको क्षेत्र में कुछ लोगों को दिनांक 29.01.2020 को पटवारी को पैमाईश कराते देखने पर एवं पूछताछ करने पर मालूमात करने पर जानकारी हुई कि रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर कोई आदेश हुआ है जिसकी न्यायालय में जॉच की गई तथा दिनांक 19.02.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 28.02.2020 को नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

रिव्यू प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रीको राज्य सरकार का सार्वजनिक उपकम है जिसका मूल कार्य इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक भूखण्ड आवंटित कर औद्योगिक गतिविधियों का बढावा देना है । इस हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पत्र ही वादी अपीलान्ट की है । इस कारण उक्त आदेश दिनांक 11.12.2017 को विधि के प्रश्नों एवं पत्रावली में उपलब्ध सरकार के जवाब एवं रीको के औद्योगिक क्षेत्र एवं कब्जे की साक्ष्य तथ्य आने के विपरीत पारित किया है जिसका पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी पर रिको का कब्जा है । इस तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के विपरीत एवं सरकार के पक्ष में साबित माना है जिसे अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट के काश्त की भूमि मानकर बिना कब्जे एवं खातेदारी के औद्योगिक भूमि में किसी परिवर्तन के बाद बिना अधिकार क्षेत्र के तनकी नम्बर 03 को वादी के पक्ष में मानकर अपील स्वीकार की है जो काबिल रिव्यू है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के वाद जरिये मुख्तार आम एवं केता इमरान अली ने बेचान के आधार पर पेश किया था जो राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के प्रावधान की धारा 39 के विपरीत गैर खातेदार द्वारा किया गया बेचान शून्य है । अपीलान्ट के मुख्तार ने न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट छोटी बाई के निधन हो जाने के तथ्य को छुपाकर अपील अबेट होने के कानूनी प्रावधान के विपरीत मृतक के पक्ष में निर्णय प्राप्त किया है जो काबिल रिव्यू है । जिसकी जानकारी छोटी बाई के फौती नामान्तरकरण की कार्यवाही 2018/304 दिनांक 16.01.2018 से हुई जिसमें छोटी बाई की मृत्यु की दिनांक को छुपाकर आदेश दिनांक 16.01.2018 प्राप्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । राज्य सरकार के आदेश से कोटा नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत एवं पेराफेरी एरिया में आवंटी को खातेदारी प्रदान करने पर प्रतिबन्ध के बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अदृश्य कारणों से खातेदारी प्रदान करने का निर्णय पारित किया है । न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश नहीं की है । प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 के निर्णय से व्यथित है तथा राज्य सकरार का उपकम होने से समस्त दस्तावेजों के साथ अपने पक्ष में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सेट–अपार्ट कर दोनों प्रकार की निजी एवं सरकारी भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों में न्यायालय के निर्णय से व्यथित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11.12.2017 को रिव्यू किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में **Book conveyancing**, एआईआर 2001 पेज 246, डीएनजे 2017 (एससी) पेज 415, आरबीजे 1996 पेज 11, आरआरडी 1986 पेज 601, एआईआर 1993 पेज 1445, आरबीजे 2001 पेज 587, आरबीजे 2005 पेज 432, आरबीजे 2006 पेज 345, आरबीजे 2019 पेज 196, एआईआर 2005 (एससी) पेज 1944 उद्धृत किये ।

अप्रार्थी कम 03 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन

किया कि उनके द्वारा पूर्व में ही निर्णय दिनांक 11.12.2017 की अपील की जा चुकी है तथा निर्णय दिनांक 11.12.2017 निरस्त योग्य है ।

अप्रार्थी कम 02 ने कथन किया कि रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसी त्रुटि जो बहुत छोटी हो उसी को दुरूस्त किया जा सकता है । प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है और न ही न्यायालय हाजा में पक्षकार हैं । प्रार्थी यदि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 से व्यथित हैं तो उन्हें उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील में पक्षकार बनाना चाहिए । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है । प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र भी गंभीर रूप से अवधि बाधित पेश किया है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण भी नहीं बताये हैं । प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से यदि कोई आपत्ति है तो उसके लिए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में चाराजोही करनी चाहिए थी । रिव्यू का क्षेत्र बहुत सीमित है तथा रिव्यू में किसी पूरे निर्णय को नये सिरे से परीक्षण कर पूर्ण रूप से नया निर्णय नहीं किया जा सकता । रिव्यू करना अपील का विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एससीसी 1996 (8) पेज 593, एससीसी 1995 (6) पेज 254, आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 108, डब्ल्यूएलसी (राज0) 2012 (4) पेज 577, आरबीजे 2005 पेज 290, डीएनजे 2012 (2) पेज 981 उद्धृत किये ।

हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस, राजस्थान सरकार के Industries (Gr.1) Department के आदेश दिनांक 28 जुलाई, 1997 की फोटो प्रति, फोटो प्रति दखलनामा, कार्यालय जिला कलक्टर कोटा के पत्र दिनांक 26.02.1998, फोटो प्रति चालान, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डबलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि0 के कार्यालय आदेश दिनांक 27 मार्च, 1998 की फोटो प्रति, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, कुछ फोटोग्राफ्स, राजस्थान राज–पत्र की फोटो प्रति, फोटो प्रति दखलनामा दिनांक 21.02.1998, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74, फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 1684, फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 1689, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में नगर विकास न्यास द्वारा की गई अपील की प्रमाणित प्रति पेश किये हैं ।

इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2017 से छोटी बाई अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 को निरस्त किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का गुणावगुण पर विवेचन व विश्लेषण करने से पूर्व हमें पुनरावलोकन (Review) के प्रार्थना पत्र के साथ सीपीसी की

धारा 96 व मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के सम्बन्ध में विवेचन कर निर्णय पारित करना उचित होगा। गुणावगुण पर विचारण से पूर्व यह भी निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या जिस प्रकरण में पूर्व में ही उच्चतर न्यायालय में लगभग उन्हीं आधारों पर अपील हो चुकी है तो क्या ऐसी स्थिति में बहुत समय बाद उस पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है ? रिव्यू का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा सीपीसी दोनों के प्रावधानों में अंकित है । उक्त दोनों प्रावधान इस प्रकार हैं । धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस प्रकार है– "बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने की शक्ति (सिविल प्रकिय संहिता, 1908 के उपबन्धों के अध्यधीन) – (1) बोर्ड अपनी स्वप्रेरणा से यहा वाद अथवा कार्यवाही के पक्षकारों के आवेदन पर स्वयं द्वारा या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की गई डिकी या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसे विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा, और (2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिकी, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगा ।" सीपीसी के आदेश 47 नियम 01 इस प्रकार है– निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन– (जो कोई व्यक्ति– (क) किसी ऐसी डिकी या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, (ख) किसी ऐसी डिकी या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा (ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किये गये निर्देश पर विनिश्चय से, अपने का व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिकी पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिकी या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिकी पारित की थी या वह आदेश किया था ।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान में केवल सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा ही पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य तृतीय पक्षकार द्वारा नहीं। जबकि सीपीसी के आदेश 47 नियम 01 (1) के तहत कोई भी क्षुब्द (Aggrieved) व्यक्ति पुनर्विलोकन की प्रार्थना कर सकता है । प्रस्तुत राजस्व प्रकरण में मूल वाद एवं अपील में प्रार्थी पक्षकार नहीं थे, हालांकि सीपीसी के प्रावधान आदेश 47 नियम 01 के तहत उन्होंने पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया है । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा सन् 2001 आरबीजे पेज 587, आरबीजे 2006 पेज 345 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये । वही इसके विरूद्ध विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत एसएससी 1996 (8) पेज 543 प्रस्तुत कर तृतीय पक्षकार को रिव्यू का अधिकार नहीं होने का कथन किया । हमारे मत में सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान प्रार्थी को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार देते हैं । यहाँ यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि रिव्यू की परिसीमा अधिनियम, 1963 के परिप्रेक्ष्य में समय सीमा क्या हो ? इस न्यायालय में रिव्यू हेतु प्रार्थना पत्र

दिनांक 16.07.2020 को पेश हुआ है तथा निर्णय दिनांक 11.12.2017 का है । पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 02 वर्ष 08 माह के बाद प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में निर्णय दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा एक अपील भी माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 12.03.2018 द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है । पुनर्विलोकन का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । अतः ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र लगभग 02 वर्ष 08 पश्चात् हुआ है । धारा 05 मियाद के प्रार्थना पत्र में भी जनवरी, 2020 को पता लगने का कथन किया है इसके पश्चात् भी लगभग 06 माह का समय पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में लगे । लिमिटेशन एक्ट की धारा 124 में यह अवधि 30 दिवस है । अतः लगभग 02 वर्ष 08 माह बाद पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा विलम्ब अवधि को माफ करने का कोई ठोस पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से अवधि– बाधित है । विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 108, डब्ल्यूएलसी 2012 (4) पेज 577, आरबीजे 2005 (12) मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 3601 से 2020 श्रीराम शर्मा बनाम विनोद कुमार व अन्य आदि में पुनर्विलोकन केसीमित क्षेत्र के बारे में बहस में विवेचन किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथा माननीय न्यायालयों के समय–समय पर अवधारित दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है । पुनर्विलोकन का उपयोग एक दूसरी अपील के रूप में नहीं किया जा सकता । पुनर्विलोकन एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकता । पुनर्विलोकन का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पूर्ण रूप से पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता । रिव्यू का क्षेत्र सीमित होता है । नजरसानी (रिव्यू) का दायरा बहुत सीमित है और नजरसानी (रिव्यू) की आड में मामले का पुनःपरीक्षण नहीं किया जा सकता। विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने उक्त निर्णय को त्रुटिपूर्ण तथा गलत निर्णय का कथन किया है । परन्तु पुनर्विलोकन द्वारा अभिलेख को देखने मात्र से त्रुटि को ठीक किया जा सकता है किन्तु गलत निर्णय को सही नही किया जा सकता । न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा के निर्णय दिनांक 23.03.2017 में तनकी संख्या 03 के विवेचन में तथा निर्णय में विवादित भूमि रिको के खाते की भूमि माना है । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनाक 11.12.2017 में भी विवाद्यक संख्या 03 में विवादित भूमि में रिको के कब्जे व खाते के संदर्भ में विवेचन किया गया है । अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि रीको से सम्बन्धित तथ्य न्यायालय के संज्ञान में निर्णय करते समय था । ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन उचित नहीं है कि न्यायालय के समक्ष उक्त समस्त तथ्य नहीं थे । हालांकि निर्णय गलत है या सही ? इसकी विवेचना की जा सकती है तथा यह आदेश अपील योग्य है । परन्तु पुनर्विलोकन के माध्यम से निर्णय को पुनः अपील की तरह सुनकर नवीन सिरे से निर्णित नहीं किया जा सकता, वह भी उस स्थिति में जब पूर्व में ही लगभग उन्हीं आधारों पर माननीय राजस्व मण्डल में पूर्व में ही अपील हो चुकी है । पुनर्विलोकन का उपयोग एक दूसरी अपील के रूप में नहीं किया जा सकता । यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है

कि प्रकरण में एक पक्षकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सन् 2018 में ही अपील कर दी गई है । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र में स्पष्टतः रिको के सम्बन्ध में कथन किया गया है । अतः यह एक सुस्थापित नियम है कि यदि लगभग उन्हीं आधारों पर पूर्व में ही वरिष्ठ न्यायालय में अपील की जा चुकी है तो प्रकरण में पुनर्विलोकन हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 6 में मिथ्या कथन है कि किसी भी पक्षकार ने अपील नहीं की है । जबकि पूर्व में मौखिक कथनों से विद्वान् अभिभाषक नगर विकास न्यास ने अपील करने के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन किया था । माननीय राजस्व मण्डल उच्चतर न्यायालय है जहाँ लगभग उन्हीं आधारों पर प्रकरण में अपील हो चुकी है । अब यदि प्रकरण में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र, जो किसी अन्य पक्षकार (जो मूल वाद/अपील में पक्षकार नहीं) द्वारा, लगभग 02 वर्ष 07 माह 09 दिन बाद प्रस्तुत किया है यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो इससे प्रकरण में अस्पष्टता तथा विधिक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी । प्रार्थी को अपील के संदर्भ में संज्ञान में आने के बाद पूर्व में प्रस्तुत अपील में विधि अनुसार अपना पक्ष रखने का विधिक प्रयास करना चाहिए था । माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित अपील में नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निस्तारण करवाना चाहिए था । परन्तु हमारे समक्ष यह तथ्य है कि लगभग उन्हीं आधारों व अनुतोष के आधार पर वाद/अपील में पक्षकार द्वारा सन् 2018 में ही अपील संस्थित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । चूँकि प्रकरण में पहले ही अपील हो चुकी है । अतः उसके बाद पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना उचित नहीं है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन का क्षेत्र बहुत सीमित है । पुनर्विलोकन एक निर्णित प्रकरण पर पुनः नये सिरे से सुनवाई नहीं है । पुनर्विलोकन एक और अतिरिक्त अपील या पुनरीक्षण नहीं है । अतः हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से अवधि बाधित है तथा इसी प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को लेकर लगभग उन्हीं आधारों पर पूर्व में ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की जा चुकी है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध की गई अपील में विधि अनुसार अपना पक्ष रख सकते हैं । उपर्युक्त विवेचन व स्थिति के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा